प्रेस विज्ञप्ति

11.02.2026

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए/एफईओए), राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय ने दिनांक 06.02.2026 के आदेश द्वारा करण ए चनना (मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) और अनीता डैंग (मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्णकालिक निदेशक) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के तहत अभियुक्त व्यक्तियों/कंपनियों की 123.85 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। यह घोषणा ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष करण ए चनना और अनीता डैंग को एफईओए अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए दायर आवेदन के आधार पर की गई है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हाल ही में इंटरपोल ने करण ए चनना के खिलाफ ईडी के अनुरोध पर उनकी संपत्ति को दुनिया भर में ट्रेस करने और फ्रीज करने के लिए सिल्वर नोटिस प्रकाशित किया है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (बीएस एंड एफबी), नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी कंपनी मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निदेशकों/प्रवर्तकों/कर्मचारियों और अन्य के माध्यम से धन की हेराफेरी और डायवर्जन, आपराधिक दुर्व्यवहार, आपराधिक विश्वासघात आदि के माध्यम से धोखाधड़ी की है, जिससे केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को लगभग 1201.85 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है। अमीरा फूड्स ग्रुप ब्रांडेड पैकेज्ड फूड, विशेष रूप से भारतीय बासमती चावल के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में था।

ईडी की जाँच में पता चला कि अमीरा फूड्स ग्रुप ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से लगभग 1201.85 करोड़ रुपये के भारी बैंक ऋण/कैश क्रेडिट ऋण लिए थे और बाद में 2017 के दौरान एनपीए बन गए। ईडी ने धन शोधन के अपराध में शामिल अभियुक्त व्यक्तियों और कंपनियों की पहचान की थी। जाँच में यह भी पता चला कि मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/शेयरधारकों/निदेशकों ने धन शोधन का अपराध किया है और तदनुसार इस मामले में 21 व्यक्तियों/कंपनियों/संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा, ईडी द्वारा की गई जाँच में अपराध से प्राप्त आगम वाली संपत्तियों/परिसंपत्तियों की पहचान की गई है, और इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की मात्रा 131.51 करोड़ रुपये है, जिसकी माननीय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है।

एफईओए के तहत ईडी की जांच से पता चला है कि करण ए. चनना और अनीता डैंग भारत छोड़कर चले गए हैं और यह उचित रूप से पता चला है कि वे क्रमशः यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक अभियोजन का सामना न करने के लिए भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बच रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट और लुक-आउट सर्कुलर जारी किए गए हैं।

करण ए. चनना और उनके परिवार के सदस्यों की विदेशी संपत्ति सहित अन्य संपत्तियों का पता लगाने के संबंध में आगे की जाँच जारी है।

प्रत्यारोपित आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने और ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए ईडी प्रतिबद्ध है।



